समाचार–प्रकाशनार्थ :–

आमजन की सहभागिता से रतलाम को मिला ओडीएफ++ का खिताब

रतलाम 11 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर 1 बनाने के प्रयासो को पंख लगने लगे है। इसी के तहत हुए सर्वे में शहर को ओडीएफ++ घोषित किया गया है। इस उपलब्धि पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहा कि यह नगर निगम की टीम के साथ ही आमजन की सहभागिता का परिणाम है।

नगर को मिले ओडीएफ++ खिताब को लेकर किए गए प्रयासों का निरीक्षण उज्जैन व भोपाल के विशेषज्ञों की टीम ने किया था, और निरीक्षण के दौरान स्वच्छता को लेकर नगर निगम द्वारा किए गए कार्यो की सराहना की थीं।

रतलाम को स्वच्छ व सुन्दर बनाने के इन्हीं प्रयासों के चलते शहर के गांधीनगर, जवाहर नगर, लक्ष्मणपुरा, राजगढ़ नयागांव, मीराकुटी, इंदिरा नगर, पंत नगर, रिटायर्ड कालोनी, डालूमोदी बाजार, धानमण्डी, चौमुखीपुल, चांदनी चौक, अमृत सागर उद्यान, एसटी स्टीफन क्षेत्र, कालिका माता उद्यान, कालिका माता मंदिर क्षेत्र, महू रोड, बस स्टैण्ड, महावीर नगर, अमृत सागर तालाब, झाली तालाब, अम्बेडकर नगर, अम्बिका नगर, मौमिनपुरा, मोहन नगर, 80 फीट रोड, त्रिवेणी क्षेत्र, अम्बेडकर मैदान, नगर निगम क्षेत्र महू रोड, बस स्टैण्ड, नजरबाग, जिला अस्पताल क्षेत्र व भुट्टा बाजार क्षेत्र में टायलेट से लेकर क्षेत्र में गंदगी नहीं पाई गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया व निगम अधिकारियों ने लगवाया कोरोना का टीका

रतलाम 11 फरवरी । फ्रंट लाईन वर्करो को लगाये जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने डीआरपी लाईन स्थित कोविड वेक्सीन सेंटर 21 में कोरोना का टीका लगवाया।

इसके अलावा उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी डीआरपी लाईन स्थित कोविड वेक्सीन सेंटर 21 सहित अन्य सेन्टरों पर कोरोना का टीका लगवाया।

स्वच्छता अपनाओं, नगर को महानगर बनाओं

स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 के तहत शहर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में विभिन्न स्पर्धाओं के साथ जागरुकता कार्यक्रम संपन्न सैकड़ों बेटियों ने लिया रतलाम को स्वच्छता में नम्बर–1 बनाने का संकल्प

रतलाम 11 फरवरी । स्वच्छ, सुंदर शहर यह महज स्लोगन नहीं बल्कि यह प्रगतिशील जीवन शैली की पहचान है। यह हर किसी के आचार–व्यवहार में शामिल होना चाहिए। परिवेश भी आवरण की तरह है। व्यक्ति सुंदर हो पर उसके आवरण गंदे हो तो वह कुरुप ही दिखेगा। शहर को हरा–भरा, साफ–स्वच्छ, सुंदर बनाना हर शहर वासी का कर्तव्य है।

उक्त विचार नगर निगम उपायुक्त श्री निशिकांत शुक्ला ने महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के दौरान व्यक्त

किए। इस अवसर पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह, व स्कूल प्राचार्य अंजली श्रीवास्तव , स्कूल स्टाफ व सैकड़ों छात्रएं मौजूद रही।

छात्राओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्रीशुक्ला ने कहां कि आओं हम सब मिलकर रतलाम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कदम बढ़ाए। मेरा शहर मेरी शान, स्वच्छता से हो इसकी पहचान, हमे इस प्रकार की धारणा के साथ एकजुट होकर स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में हमारे शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर–बनाना है। रतलाम नगर को अगर महानगर की श्रेणी में खड़ा करना है तो हर किसी को स्वच्छता पर ध्यान देना होगा।

स्पर्धाओं में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

स्वच्छ सर्वेक्षण –2021 के तहत आयोजित कार्यक्रम में निबंध, मेंहदी, रांगोली, क्विज, चेयर रेस सहित आधा दर्जन स्पर्धाएं आयोजित की गई जिसमें छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। उपायुक्त श्री शुक्ला ने स्वच्छता से जुड़ी रांगोली,चित्रकला, मेंहदी निर्माण का अवलोकन करते हुए छात्राओं के कार्यो की सराहना करते हुए उन्हे पुरुस्कृत भी किया।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के कचरा मुक्त स्थल, सार्वजनिक स्थलो, स्कूल, कालेजों आदि स्थानों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान गुरुवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है।

यहां लिए गए संकल्प – शौचालय का प्रयोग करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलायें, अपने आस–पास रखे कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिये लोगों को बतायें, कॉर्टून और चित्रों के जरिये लोगों को स्वच्छता के सही मायने समझायें, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिये लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे और ऐसा करने वालों को विनम्रता पूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाये रखने संबंधी अभियान चलाएंगे, पान, गुटका और तम्बाकू जैसे उत्पादों का सेवन करने वालों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे, सरकारी,गैरसरकारी संस्थानों, स्कूलो,सार्वजनिक इलाकों, मौहल्लों, कालोनियों, बागीचों और घरों में स्वच्छता बनाये रखने के लिए लोगों को शिक्षित बनाएंगे, स्वच्छता के लिए नालियों की गंदगी, नालो,तालाबों के आस–पास जमे कूड़े–करकट, सडकों की सफाई करेंगे।

काटजू नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 23,69,144/– संपत्तिकर व 6,12,760/– जलकर जमा कराया

रतलाम 11 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/– व जलकर 6,000/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/– व जलकर 55,775/–, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/– व जलकर 49,010/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/– व जलकर 43,670/–, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/– व जलकर

29,280/–, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/– व जलकर 19,850/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/– व जलकर 48,220/–, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/– व जलकर 14,000/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/– व जलकर 86,540/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/– व जलकर 3,76,905/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/– व जलकर 76,470/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/– व जलकर 47,595/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/– व जलकर 22,680/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/– व जलकर 55,320/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 1,36,000/– व जलकर 33,790/– की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 23,69,144/– संपत्तिकर व 6,12,760/– जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14, 15 व 48 के लिये आज 12 फरवरी को डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 48 के लिये 15 फरवरी को वेदव्यास कालोनी, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 16 फरवरी को कल्याण नगर, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

659 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 11 फरवरी । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 11 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 659 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 11 फरवरी को चांदनी चौक, बाजना बस स्टैण्ड, चमारिया नाका व त्रिपोलिया गेट से 4 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

112 दिनों में 142 वॉल्व व 746 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 11 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 11 फरवरी तक 142 वॉल्व व 735 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

"रतलाम जलशक्ति अभियान" व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 11 फरवरी गुरूवार को कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन, अम्बिका नगर पानी की टंकी भरने वाली लाईन, हरमाला रोड फुलमण्डी के पास, हिम्मत विहार कालोनी सांई मंदिर के पास, सखवाल नगर ब्रीज के नीचे, कानवेंट स्कूल के पास, प्रताप नगर, जावरा रोड, शास्त्री नगर व निगम कार्यालय के सामने पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 11 फरवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण–पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण–पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 11 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 11 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 11 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो

नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 11.02.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.